समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

ऑपरेशन कालनेमि के तहत देहरादून मे बंड़ी कार्रवाई : दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू

Harry Aryann

Published on 15 Sep 2025

[illegible] | [illegible] |[illegible] | राज्य की पुलिस, एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की संयुक्त टीम ने **ऑपरेशन कालनेमि** के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने पटेलनगर क्षेत्र के **पूजा विहार – चन्द्रबनी इलाके** से अवैध रूप से भारत में रह रही दो बांग्लादेशी महिला नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और डिपोर्टेशन (निर्वासन) की प्रक्रिया जारी है।

कैसे हुई गिरफ्तारी ?

चेकिंग और सत्यापन अभियान के दौरान दोनों महिलाएं संदिग्ध पाई गईं। पूछताछ में असंगत जानकारी देने पर जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई, तो **बांग्लादेशी ID कार्ड और परिवार रजिस्टर** बरामद हुए। महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे पश्चिम बंगाल बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत में घुसी थीं और यहां रह रही थीं।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान

- **यासमीन**, पुत्री मोहम्मद तोहिद मियां, निवासी – शहीद मियां कॉलोनी, सिलहट नगर निगम, बांग्लादेश।
- **राशिदा बेगम**, पुत्री मोहम्मद उल्ला, निवासी – ग्राम रामों, थाना व जिला चटग्राम, बांग्लादेश।

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों महिलाएं बिना वैध दस्तावेज के रह रही थीं। अब तक ऑपरेशन कालनेमि के तहत:

- 05 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा चुका है।

- 07 नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है।

सुरक्षा पर कड़ी नजर

पुलिस ने स्पष्ट किया कि **अवैध घुसपैठ और प्रवास पर सख्त निगरानी** रखी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और स्थानीय स्तर पर लगातार सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं। आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

यह कार्रवाई राज्य और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का हिस्सा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Harry Aryann, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.